राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)(14) राज / 2007 /   दिनांक 26 मई ~~अप्रेल~~, 2008

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

श्री कुबेर सिंह शेखावत पुत्र श्री नथुसिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी उदयपुरवाटी अध्यक्ष, शेखावाटी शिक्षण प्रशिक्षण समिति, टोडी गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी के आवेदन पर, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग जयपुर के पत्र/आदेश क्रमांक प. 2 (137) राज/भू.रू./07 दिनांक 17.09.07 के द्वारा संपरिवर्तन की स्वीकृति जारी किये जाने के अनुसरण में, पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 (4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पत्ता :	श्री कुबेर सिंह शेखावत पुत्र श्री नथुसिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी उदयपुरवाटी अध्यक्ष, शेखावाटी शिक्षण प्रशिक्षण समिति, टोडी गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :	नहीं
3.	आदेश की संख्या तथा तारीख उपदर्शित करते हुये मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : या आदेश की तारीख और संख्या उपदर्शित करते हुये प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवंटित की गई थी :	आवासीय प्रयोजनार्थ उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश संख्या राज/कृ.भू.रू./07/416–19 दिनांक 02.02.07 नहीं
4.	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
5.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा। (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	 ग्राम टोडी, ग्राम पंचायत टोडी दुड़िया, तहसील उदयपुरवाटी खसरा संख्या 1484/935 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा संख्या 1484/935 रकबा (0.26 हैक्टेयर) 2600 वर्गमीटर
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलंग्न है।	
6.	मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर	एक व दो रूपये प्रति वर्ग मीटर
7.	मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या तथा तारीख सहित :	चालान संख्या 55 दिनांक 31.01.2007 राशि 3200/– रूपये

Scanned with OKEN Scanner

8.	पुनरीक्षित संपरिवर्तन संदेय प्रीमियम की दर	10/- रूपये प्रति वर्ग मीटर
9.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर की जमा कराई गई रकम	22,800/- बाईस हजार आठ सौ रूपये मात्र चालान संख्या 242 दिनांक 27.11.2007
10.	चालान की संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	78,000/- अठहत्तर हजार रूपये मात्र चालान संख्या 242 दिनांक 27.11.2007
11.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	नहीं
12.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों :	नहीं
13.	उपर्यक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत्त कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत्त हो जायेगा। (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा--निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।	

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)(14) राज/2007/ 2526-31

दिनांक 26 ~~अप्रेल~~ मई 2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र/आदेश क्रमांक प. 2 (137) राज/भू.रू./07 दिनांक 17.09.07 के संदर्भ में।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. उप खण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी।
4. तहसीलदार, उदयपुरवाटी।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत टोडी दुड़िया, तहसील उदयपुरवाटी।
6. श्री कुबेर सिंह शेखावत पुत्र श्री नथुसिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी उदयपुरवाटी अध्यक्ष, शेखावाटी शिक्षण प्रशिक्षण समिति, टोडी गुढागौडजी, तहसील उदयपुरवाटी।
7. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

Scanned with OKEN Scanner